बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 28.12.17

संख्याः–9/आ0(राज0)(उ0)–02–06/2012 5192 /श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद मुजफफरपुर को 10,000/–रू0 (दस हजार रू0) घूस लेने के आरोप में निगरानी धावादल द्वारा निगरानी थाना कांड सं0–069/2009 दर्ज कर न्यायायिक हिरासत में भेजे जाने एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–086/2009 दर्ज किये जाने के आरोप में श्री कुमार, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 यथासंशोधित 2007 के नियम–14(xi) के प्रावधान के अतंर्गत विभागीय अधिसूचना सं0–2744 दिनांक–27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया था।

2. श्री कुमार, द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–18674/15 दायर किया गया जिसपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–11.09.2017 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया हैः– "Having regard to the facts discussed above, this writ petition is allowed and the impungned order dated 27.06.2014 (Annexure-22) is set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority ot proceed a fresh from the stage of asking second show cause and pass order in accordance with law within a period of four months from the date of receipt of this order"

3. विधि विभाग से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की विधिक्षा करायी गयी तथा विधि विभाग के परामर्श के अलोक में द्वितीय कारणपृच्छा कर तार्किक आदेश पारित करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं0–2774 दिनांक–27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः श्री कुमार, को सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया गया जिसपर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–27.12.2017 की बैठक में मद सं0–03 के रूप में श्री कुमार, को सेवा से बर्खास्तगी हेतु संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0– 2744 दिनांक–27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः सेवा में बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

4. अतएवं उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, (संप्रति सेवा से बर्खास्तगी) के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0–2744 दिनांक–27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः उन्हें सेवा में बहाल किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

C:\Users\RS\Desktop\vandana\(letter).docx

(5)

ज्ञापांक–9/आ0(राज0)(उ0)–02–06/2012 पटना, दिनांक:–..................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–9/आ0(राज0)(उ0)–02–06/2012 5132 पटना, दिनांक:– 28.12.17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना शाखा–5/आई0टी0 मनेजर/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मुजफ्फरपुर संप्रति सेवा से बर्खास्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

C:\Users\RS\Desktop\vandana\(letter).docx